रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122023-250993
CG-DL-E-30122023-250993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] **नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945**
No. 746] **NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945**

पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 930(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटक संगठन (अननुसचिवीय और अराजपत्रित) सूचना कर्मचारी नियम, 2000 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय में पर्यटक सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक सूचना अधिकारी (समूह 'ख', अननुसचिवीय और अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं आदिः** -भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है. या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6.**व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
पर्यटक सूचना अधिकारी	89* (2023). * कार्यभार के आधारपर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400 रु-1, 12,400 रु)

चयन अथवा गैर-चयन पद	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	(6)	(7)
चयन	30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट)। **टिप्पण**-आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।	I. (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पर्यटन अथवा आतिथ्य अथवा यात्रा प्रबंधन अथवा होटल प्रशासन अथवा होटल प्रबंधन में डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्ष की अवधि)। अथवा II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पर्यटन अथवा आतिथ्य अथवा यात्रा प्रबंधन अथवा होटल

		प्रशासन अथवा होटल प्रबंधन में स्नातक की डिग्री।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
आयु- नहीं शैक्षणिक अर्हता- नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष और भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा आयोजित दो सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना।	(i) 80% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। (ii) 20% प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचनाः**	**किन परिस्थितियों में विद्यमान भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 में अवर श्रेणी लिपिक (यूडीसी) और कनिष्ठ आशुलिपिक (25,500-81,100 रुपये), के वेतन मैट्रिक्स के साथ जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्तर 5 में फिल्म प्रोजेक्ट ऑपरेटर (29,200-92,300 रुपये) के वेतन मैट्रिक्स के साथ छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) या पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से संबंधित क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:-** प्रोन्नति की विधि द्वारा रिक्तियां फीडर कैडर, अर्थात् अवर श्रेणी लिपिक (यूडीसी), कनिष्ठ आशुलिपिक और फिल्म प्रोजेक्ट ऑपरेटर के बीच क्रमशः 15:3:2 के अनुपात में भरी जाएंगी। **टिप्पण 2:-** जहाँ प्रोन्नति हेतु योग्यता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों पर विचार किया जा रहा हो वहाँ वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु उनकी अपेक्षित योग्यता अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित योग्यता अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा 2 वर्ष, जो भी कम हो, से ज्यादा कम न हो	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति करने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-** 1. संयुक्त सचिव या समकक्ष प्रशासनिक, प्रभारी अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी -- सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय -- सदस्य । **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-** 1. संयुक्त सचिव या समकक्ष प्रशासनिक, प्रभारी अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय --अध्यक्ष; 2. पर्यटन मंत्रालय में एक अन्य निदेशक या उप सचिव, -सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय -सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श आवश्यक नहीं है।

और साथ ही उन्होंने ऐसी योग्यता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के अधीन पदाधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हैं ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 5 वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रुपये) या समकक्ष में छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ ; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 4 वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) या समकक्ष में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) स्तभ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त हो। **टिप्पण 1:** केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), साधारणतया पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/02/2014-प्रशा.I]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2023

G.S.R. 930(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Tourist Organization (Non-Ministerial and Non-Gazetted) Information Staff Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tourist Information Officer, under Ministry of Tourism, namely:-

Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Tourism, Tourist Information Officer (Group B, Non -Ministerial and Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post classification and pay level in pay Matrix. -** The number of said post, its classification, pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc**.- The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, **-**

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for the appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**. – Where the Central Governmental is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Tourist Information Officer	89* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay level 6 (Rs.35,400 – 1,12,400) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for Direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the, date as fixed by Staff Selection Commission.	**Essential** I. (i) Bachelor degree in any discipline from recognised university or Institute and; (ii)Diploma (minimum one-year duration) in tourism or Hospitality or Travel Management or Hotel Administration or Hotel Management from a recognised university or institute. **or** II. Bachelor degree in tourism or Hospitality or Travel Management or Hotel Administration or Hotel Management from a recognised university or institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age –No Education Qualification -No	Two years for Direct Recruit and Successfully completion of two weeks foundation training conducted by Indian Institute of Tourism & Travel Management(IITTM).	(i) 80% by direct recruitment. (ii) 20% by promotion failing which by deputation.

Grade from which recruitment by promotion or deputation or absorption or short term contact or re-employment is to be made	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk (UDC) and Junior Stenographer in level 4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the Pay Matrix or Film Project Operator in level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix with Six years regular service and have Successfully completed four weeks training in the relevant field from Indian Institute of Tourism & Travel Management (IITTM) or Institute specified by Ministry of Tourism. **Note:1** The vacancies by the method of promotion shall be filled among the feeder cadres, namely Upper Division Clerk (UDC), Junior Stenographer and Film Project operator in the ratio of 15:3:2 respectively. **Note:2** Where juniors who have completed their qualifying service are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying service for more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully Completed their probation period for promotion to next grade along with their Junior who have already completed the	**Group 'B' Departmental Promotion committee(for considering promotion) consisting of:-** 1. Joint Secretary or Equivalent Officer in charge Administration, Ministry of Tourism -- Chairman; 2. An officer of the level of Under Secretary from another Ministry or Department Govt. of India -- Member; 3. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Tourism - Member. **Group 'B' Departmental promotion committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Joint Secretary or Equivalent Officer in charge Administration, Ministry of Tourism -- Chairman; 2. Another Director or Deputy Secretary in the Ministry of Tourism - Member; 3. Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Tourism - Member.	Consultation with Union Public Service Commission (UPSC) is not necessary.

qualifying service. Deputation (Including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertaking or Statutory or Autonomous Organisation or recognised university or research institutions: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the pay level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years regular service in the pay level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the education qualification prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation (including short term Contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2: -** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term Contract) shall not be exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/02/2014 (Admn.I)]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.30 16:31:26 +05'30'